

इंडियन लॉ रिपोर्ट्स
(एम.पी. सीरीज)

वर्ष 2016 के लिये वार्षिक सदस्यता का आवेदन

दिनांक / / 2016

प्रति,

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.एल.आर.),
प्रशासनिक भवन,
म0प्र0 उच्च न्यायालय,
जबलपुर-482001
फोन नं. 0761-2620380 (404,427)

महोदय,

मैं, आई.एल.आर. (एम.पी.सीरीज) वर्ष 2016 के लिये वार्षिक सदस्य बनना चाहता हूँ।
इसके लिये मैं वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹ 550 /— जमा कर रहा हूँ तथा अपनी प्रतियां
निम्नांकित माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूँ :- (उचित विकल्प में (√)का निशान लगाए)

बैंच रजिस्ट्री / जिला / तहसील न्यायालय के द्वारा *साधारण डाक के माध्यम से

*साधारण डाक के माध्यम से भेजी जाने वाली प्रतियां केवल एक बार भेजी जायेंगी और यदि कोई प्रति प्राप्त नहीं होती है तो उस प्रति को प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना पड़ेगा एवं प्रति उपलब्ध होने पर ही प्रदाय की जायेगी।

कृपया आई.एल.आर. (एम.पी.सीरीज) की मासिक प्रति मुझे निम्न पते पर भेजेंगे।

नाम:-----

(पूरा नाम)

डाक का पूर्ण पता:-----

(फोन / मोबाईल नं0 सहित)-----

-----जिला-----

पिन कोड-----

हस्ताक्षर

(कार्यालय के उपयोग के लिये)

श्री-----ने आई.एल.आर. (एम.पी. सीरीज) का वर्ष 2016 का
सदस्यता शुल्क रूपये -----जमा किया। इसके लिये उन्हें रसीद बुक क्रमांक-----,
रसीद क्रमांक-----, तारीख----- दी गई।

केशियर / जिला नाजिर
स्थान-

आई.एल.आर. (एम.पी. सीरीज) की सदस्यता के लिये प्रक्रिया

01. जब भी कोई व्यक्ति आई.एल.आर. का वार्षिक सदस्य बनना चाहे उसके लिये उससे सदस्यता का आवेदन दो प्रतियों में लिया जावे।
02. आवेदन पर जिला न्यायालय रजिस्ट्रार/तहसील मुख्यालय पर वरिष्ठ न्यायाधीश यह लिखें "नाजिर राशि जमा करें।"
03. आवेदन पर रजिस्ट्रार/वरिष्ठ न्यायाधीश का आदेश होने पर नाजिर संबंधित व्यक्ति से वार्षिक सदस्यता शुल्क प्राप्त करें और संबंधित को एम.पी.टी.सी. के रसीद बुक पर रसीद दें।
04. नाजिर रसीद देने के बाद रसीद बुक का क्रमांक, रसीद नंबर व तारीख सदस्यता के आवेदन पत्र की दोनों प्रतियों पर लिखें।
05. नाजिर इस प्रकार जो भी राशि सदस्यता शुल्क के रूप में प्राप्त करें वह राशि चालान से म.प्र. शासन के मद 0058—Stationary & Printing sale of Gazettes and other publications में जमा करे।
06. सदस्यता के आवेदन—पत्र की मूल प्रति इस कार्यालय को भेजी जाये जबकि द्वितीय प्रति वहीं रखी जाये।
07. जो भी सदस्य बनें उनके बारे में जानकारी अविलंब ई—मेल से भेजी जाये।
ilrhc-mp@nic.in
08. जो भी अभिदाता किताबें खरीदने के इच्छुक हैं वे राशि डी0डी0/चैक/मनीआर्डर के द्वारा भी जमा कर सकते हैं। डी0डी/चैक/मनीआर्डर "रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर" के नाम से देय होना चाहिये।
09. आवेदन में आई0एल0आर0 की प्रतियां प्राप्त करने संबंधी विकल्प (साधारण डाक अथवा कोर्ट के माध्यम से प्राप्ति हेतु) आवश्यक रूप से भरा जाना चाहिये।

Note:

- Delivery of ILR books sent by ordinary post is at subscriber's risk.
- Any copy will not be sent again to the subscribers who opt for delivery by ordinary post, except on payment of price of the issue and subject to the availability of the extra copy in the stock.
- Subscribers are requested to avail facility of delivery through District Court/Tehsil Courts to avoid inconvenience.